न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 10/2020

1 गिरवर सिंह दत्तक पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये वली कुदरती माता होशियारी देवी पत्नी लीलासिंह जाति राजपूत निवासी डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामनिवास पुत्र प्रहलाद।
2 ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद समस्त जाति खाती निवासीगण डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 इण्डियन आवरसीज बैंक शाखा कोलिहाल नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट डिक्री एवं निर्णय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दिनांक 10.01.2020 दावा संख्या 203/2011 पुराना एवं 1996/2015 नया उनवानी गिरवर सिंह बनाम रामनिवास आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 203/2011 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम डाडा फतेहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 848 के संदर्भ में घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 व 2 का सन्दर्भ में यह मानने में भारी भूल की है कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच पहले दावे चले जिनके निर्णय की पत्रावली संख्या एवं निर्णय संख्या प्रदर्श ए 1 प्रदर्श ए2 व प्रदर्श ए3 है। उक्त पत्रावली में वादी गिरवर सिंह दत्तकपुत्र बच्चनसिंह (ओरसपुत्र लीलूसिंह) कभी पक्षकार नहीं था गत् खसरा नम्बर 723 टेडा–मेडा डोला था जिस पर पड़ोसी खेतों के काश्तकार गत् खसरा नम्बर 723 पर काबिज थे उनमें एक व्यक्ति प्रदर्श ए3 की वादनी स्योकरण देवी मृतक सुरजनसिंह का 1/4 हिस्सा बिना रजिस्टर्ड पत्र के खरीद कर स्योकरण देवी की सहमति से सुगन सिंह की जमीन अपने नाम करना जाहिर करता है एवं प्रदर्श ए1 एवं ए2 के दावे में वादी रामनिवास वर्तमान दावे का प्रतिवादी है परन्तु उक्त दावा संख्या 16/1994 का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादी गिरवर सिंह पुत्र रामबक्स सिंह है जो कि गत् खसरा नम्बर 723 में उसका भी 1/6 हिस्सा है एवं गत खसरा नम्बर 723 के म्याल जौड़ खेत खसरा नम्बर 767 को काश्त करता था। परन्तु अधिनस्थ अदालत ने दस्तावेजों पर बिना गौर किये यह मानने में भूल की है कि पूर्व के दावा प्रदर्श ए1, ए2, ए3 वर्तमान पक्षकारों के बीच थे इसलिए विचारण न्यायालय का तनकी संख्या 1 व 2 पर दिया गया निर्णय बिना आधार के कतई गलत है। विचारण न्यायालय ने यह तो अपने निर्णय में लिखा है कि वादी के दत्तकपिता बच्चन सिंह ने गत खसरा नम्बर 723 के पूर्व खातेदार सुरजन सिंह का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 20.08.1975 को खरीदा है। जिसका साढ़े चार बिस्वा का इंताकल संख्या 696 भी जरिये प्रदर्श 6 के वादी के दत्तक पिता के नाम चढ़ा है विचारण न्यायालय ने यह भी माना है कि वादी बच्चन सिंह को गोद का पुत्र है ऐसी स्थिति में वादी को गत् खसरा नम्बर 723 (हाल खसरा नम्बर 848) के 4 $^{1}/_{2}$ बिस्वा का खातेदार घोषित नहीं करने में भी भूल की है। विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य पर भी गौर नहीं किया है ना ही अपने निर्णय में मौखिक साक्ष्य का विवेचन किया है जिसमें यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 848 का एक मेड़नुमा भाग जो कुछ गज चौड़ा है। वादी के खेत का भाग है एवं प्रतिवादी के खेत से बिल्कुल अलग है उस पर प्रतिवादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संदर्भ में पक्षकारान के मध्य पूर्व में वाद चले है जिसके अनुसार मु.नं. 200/1995 बउनवानी श्योकरण देवी बनाम रामनिवास आदि में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के तर्क स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि वादिया का यह दावा 1995 में दर्ज हुआ है जबकि प्रतिवादी की खातेदारी वर्ष 1979 में ही दर्ज हो गई थी। प्रतिवादीगण का कब्जा भी वर्ष 1979 से ही भूमि पर प्रतीत होता है। खसरा परिशोधन पत्र पर स्वयं वादिया ने अपनी सहमति प्रकट की थी अतः वह अब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

धारा 115 साक्ष्य अधिनियम अन्तर्गत अन्यत्र कथन करने से Estopped है। ऐसी परिस्थितियों में वादिया का यह दावा आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। मु.नं. 16/1994 बउनवानी रामनिवास आदि बनाम गिरवर सिंह बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली में न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.1994 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 848 रकबा 0.17 है. वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा की नपती कर सीमाज्ञान कर इस भूमि के जितने भाग पर प्रतिवादी ने मेड बनाकर कब्जा कर रखा है से बेदखल कर वादीगण का कब्जा कराया जावे व पुख्ता पत्थरगढ़ी मौके पर कायम की जावें। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है (प्रदर्श–2) जो वर्ष 1979 से निरन्तर चली आ रही है एवं कब्जा काश्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही प्रतीत हो रहा है। उक्त दोनो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गत खसरा नम्बर 723 व हाल 848 में निर्णय पारित किये थे। उक्त निर्णयों के विरूद्ध वादी को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी जो वादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर पुनः उसी भूमि के संबंध में न्यायालय में वाद दायर किया है जो विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संदर्भ में पक्षकारान के मध्य पूर्व में वाद चले है जिसके अनुसार मु.नं. 200/1995 बउनवानी श्योकरण देवी बनाम रामनिवास आदि में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के तर्क स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि वादिया का यह दावा 1995 में दर्ज हुआ है जबकि प्रतिवादी की खातेदारी वर्ष 1979 में ही दर्ज हो गई थी। प्रतिवादीगण का कब्जा भी वर्ष 1979 से ही भूमि पर प्रतीत होता है। खसरा परिशोधन पत्र पर स्वयं वादिया ने अपनी सहमति प्रकट की थी अतः वह अब धारा 115 साक्ष्य अधिनियम अन्तर्गत अन्यत्र कथन करने से Estopped है। ऐसी परिस्थितियों में वादिया का यह दावा आधारहीन होने के कारण खारिज किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

जाता है। मु.नं. 16/1994 बउनवानी रामनिवास आदि बनाम गिरवर सिंह बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली में न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.1994 के अनुसार हाल खसरां नम्बर 848 रकबा 0.17 है. वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा की नपती कर सीमाज्ञान कर इस भूमि के जितने भाग पर प्रतिवादी ने मेड बनाकर कब्जा कर रखा है से बेदखल कर वादीगण का कब्जा कराया जावे व पुख्ता पत्थरगढ़ी मौके पर कायम की जावें। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है (प्रदर्श–2) जो वर्ष 1979 से निरन्तर चली आ रही है एवं कब्जा काश्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही प्रतीत हो रहा है। उक्त दोनो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गत खसरा नम्बर 723 व हाल 848 में निर्णय पारित किये थे। उक्त निर्णयों के विरूद्ध वादी को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी जो वादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर पुनः उसी भूमि के संबंध में न्यायालय में वाद दायर किया है जो विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर